12.23 hrs.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1978-79.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing Demands for Excess grants in respect of the Budget (General) for 1978-79.

This is in respect of Excess Grants which have been certified by the public Accounts Committee and there is no debate on this because it has been approved and therefore it may be taken as moved.

MR. SPEAKER: Now Matters under Rule 377.

12.25 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Payment of arrears to farmers by sugar factories of Jawra and Mahendrapur road in Madhya Pradesh

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जवरा तथा माहेदपुर रोड के शक्कर कारखानों ने किसानों को उनके गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है तथा मिल की ओर कर्मचारियों का पिछला वेतन और भत्ते बाकी हैं । सरकार ने जब मिलों का अधिग्रहण किया था तब यह घोषणा की थी कि किसानों को उनके गन्ने की बकाया राशि का इसी वर्ष भुगतान किया जायेगा, किन्तु अब शक्कर कारखानों ने उत्पादन बंद कर दिया है । क्षेत्र में खांडसारी मिलें चालू हैं । अब भी किसान के खेतों में गन्ना खड़ा है। प्रदेश में सभी शक्कर कारखानों पर गन्ने की खरीद का भाव एक सामान नहीं है । बरलोई के सहकारी शक्कर कारखानों ने गन्ने की अधिक कीमत का भुगतान किया है जबकि अन्य कारखानों पर भाव कम दिये गये हैं । किसानों को उपयुक्त मूल्य देकर करखाने 15 दिन और चलाये जा सकते हैं और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि किसानों की बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान शीघ्र किया जाये तथा कर्मचारियों को उनका पिछला वेतन और भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करें ।

(ii) Shortage of postal articles in West Bengal.

SHRI SATYAGOPAL MISRA (Tamluk): Sir, people of West Bengal are facing great difficulties due to the acute shortage of postal material like stamps, post-cards, inland letters, envelopes etc. for quite sometime. People have to move here and there in search of postal material . Employees in-charge of selling the postal material in the different post offices also face people's grievances caused by the non-availability of the postal mattrials. Several representations have already been made to the concerned authorities but without any result.

I, therefore, urge upon the Government to ensure adequate supply of postal material without any further delay.

(iii) NEED TO SET UP SMALL SCALE INDUSTRIES IN HILLY AND BACKWARD AREAS OF MAHARASHTRA

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आज तक जो लघु उद्योग तथा इंडस्ट्रीज खोली गयी हैं, वे मूल्य रूप से पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में नहीं है जबकि इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपयोग के लिये कच्चा माल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है । इस समय यह सामान बाहर भेजा जा रहा है और इसके उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो हो पा रहा है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है । उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के तौर पर महाराष्ट्र के पेलघाट जैसे कई पिछड़े इलाकों से "तिखाड़ी" घास, जिसके सौंदर्य प्रसाधनों के लिए सुगंधित तेल निकाला जाता है तथा माचिस और लकड़ी की अन्य बहुत सी वस्तुएं बनाने में काम आने वाली "सलाई" और अन्य किस्म की लकड़ी बाहर भेजी जाती है । यदि इन क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले सामान के उपयोग के लिए इन्हीं क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं

के साथ लघु उद्योग खोले जाएं तो उनसे इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सकेगा और स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में रोजगार मिल सकेगा ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाये ।

(iv) NEED FOR EXTRA ALLOTMENT OF CEMENT TO ORISSA FOR WORKS TO CONTROL FLOODS.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Quarterly allocation of cement to Orissa has been reduced from 1,23.400 M.T. in the first quarter of 1980 to 81,400 M.T. in the fourth quarter of 1980. Several bridges and culverts were washed away. Most of the public and private buildings in the flood-affected areas were seriously damaged. For flood restoration work, at least *ad hoc* allocation of cement to Orissa is urgently needed. I urge upon the Government to direct the Cement Controlled to allot extra quantity of cement to Orissa urgently for flood restoration work, and not to curtail the allotment of cement to Orissa from the two cement factories of the State, as the landing cost of Andhra cement is much more at places like Puri and Cuttack.

(v) DRINKING WATER PROBLEMS OF PATNA CITY

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, "पटना में पेय जल संकट" । पटना नगर बिहार की राजधानी है । चल रहे जनगणना अभियान के बाद उसकी जनसंख्या सात लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है । शहर का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है ।

नगर के विकास के साथ-साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं जिनके निराकरण की ओर सरकार का ध्यान या तो आकृष्ट नहीं हो पा रहा है या धनाभाव के कारण वह कुछ कर सकने में असमर्थ है । समस्याओं में पेय जल का संकट सब से बड़ी समस्या है । नहाने-धोने की बात तो दूर रही पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलता । गर्मी के दिनों में तो नागरिकों में कहराम मच जाता है और लोगों को पानी की तलाश में दूर-दूर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं मिल पाता । कभी कभी तो विरोधस्वरूप घड़ा फोड़ो अभियान भी चल पड़ता है ।

बांकीपुर और पटना सिटी दोनों क्षेत्रों के दर्जनों मुहल्लों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है । इसका कारण आर्थिक है । धन के अभाव में बड़े बड़े नलकूप और टंकियों की व्यवस्था नहीं हो पाती । पटना वाटर बोर्ड ने इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार से साढ़े चार करोड़ रुपये की मांग की है । राज्य सरकार ने इसके लिए भारत सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है । मेरा अनुरोध होगा कि पटना नगर में जल की व्यवस्था के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को मदद भेजनी चाहिए ताकि पेय जल की उचित व्यवस्था की जा सके ।

(vi) NEED FOR STEPS FOR IMPLEMENTATION OF PALEKAR AWARD

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, पालेकर न्यायाधिकरण की घोषणा हो जाने के बावजूद भी अभी तक बड़े-बड़े अखबार उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में ला रहे हैं । अगर सरकार के द्वारा इसे अविलम्ब लागू करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में इनके लागू करने के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी । संवाददाताओं के विभिन्न संगठनों ने भी इस प्रकार की मांग का समर्थन करते हुए त्रिपक्षीय समिति बनाने की मांग की है । जिसमें अखबार व समाचार एजेन्सियों के संवाददाताओं के प्रतिनिधि, अखबारों के प्रबंधक के प्रतिनिधि व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हों । जो पालेकर एवार्ड के न्यायसंगत क्रियान्वयन को देख सकें क्योंकि जब से इस एवार्ड की घोषणा हुई है बड़े बड़े अखबारों ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में डालना प्रारम्भ कर दिया है। इसके शिकार विशेष रूप से अंशकालिक संवाददाता हो रहे हैं जो इन अखबारों में 20-25 वर्ष से कार्य करते आ रहे हैं ।